हरियाणा सरकार ने योजना पर आयु प्रतबिंध हटाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने **कृषि कार्य के दौरान मृत्यु या अक्षमता की स्थिति** में किसानों और कृषि श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना पर आयु सीमा हटा दी।

मुख्य बिंदु:

- सरकार ने किसानों, कृषि श्रमिकों और मंडी यार्ड मज़दूरों के लिये **'मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना'** के तहत आयु प्रतबिंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
- इस योजना के तहत **किसानों, कृषि मज़दूरों और मंडी यार्ड मज़दूरों को 37,500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
- पूर्व नियम के अनुसार, इस योजना में लाभार्थी की आयु 10 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
- अब, **10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे** और **65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति भी योजना के तहत लाभ के पात्र** होंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-government-removes-age-retention-on-scheme